डूबते कर्ज के निपटान की चुनौतियां

दीपक नारंग

वर्तमान सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को एक सही कदम उठाते हुए दिवालियापन के लिए एक कानून लागू किया, जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला (गेमचेंजर) है। सरकारी कर्ज चुकाये बिना भागने वालों का रास्ता रोकने और कर्ज वसूली के लिए एक कठोर कानून बनाने के लिए दो बार अध्यादेश लायी। एनपीए जैसे दानव को नष्ट करने के लिए अब इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाएगा। इसकी प्रभावकारिता का उचित और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों की इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादे पर निर्भर करेगा

बैंक वित्तीय मध्यस्थता विकास का इंजन है क्योंकि वह जिन लोगों के पास बचत है उनसे पैसे जमा करवाकर उसे निवेश गतिविधियों के लिए उधार देकर अर्थव्यवस्था में पैसे के परिचालन करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उधार से उत्पादक संसाधनों की मांग का निर्माण होता है और वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है। एक का खर्च दूसरे की आय है। यह उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और तेज उत्पादक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।

उधार देने में संकुचन से विपरीत प्रभाव पड़ता है और विकास लड़खड़ा जाता है। कर्ज देने के मामले में मंदी का एक प्रमुख कारण बैंकों के बैलेंस शीट (तुलन पत्र) में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की तेजी से वृद्धि है। एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के बकाया कर्ज के बाजार शेयर का लगभग 72 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या यानि अति प्रवाह और संकटग्रस्त कंपनियां मिलकर पीएसबी के एनपीए को बढ़ाती हैं जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश बाधित होता है।

भारतीय बैंकों का सकल एनपीए (यानि बुरे कर्ज) तीस सितंबर, 2017 तक 8.40 लाख करोड़ रुपये हो गया। जो दिखाता है कि 30 जून, 2017 के 8.29 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 1.31 फीसदी की वृद्धि हुई है। सितंबर 2015 से एनपीए में तेजी से उछाल का कारण कथित रूप से वर्ष 2008 से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में तेजी है। वर्ष 2008 से 2014 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल उधार 18 लाख करोड़ रुपये से 54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर, 2017 तक यह आंकड़ा 55.01 लाख करोड़ रुपये था। हैरानी की बात नहीं कि बुरे कर्ज के इस ढेर में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की फंसी परिसंपत्तियों का हिस्सा लगभग 90 फीसदी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब कर्ज लगभग 7.33 करोड़ रुपये ज्यादा था जबकि 17 निजी क्षेत्र के बैंकों का बुरा कर्ज 10.5 फीसदी बढ़कर 1.06 लाख करोड़ पहुंच गया।

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) के अग्रिम में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं का हिस्सा 56 फीसदी है, लेकिन उनके एनपीए का हिस्सा 86.5 फीसदी है। एनपीए में अधिकतम गिरावट उन खातों में (संख्या और राशि, दोनों में) आयी है जिनकी बकाया राशि 20 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच है और उसके बाद उन खातों में जिनकी बकाया राशि 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच है।

शीर्ष 100 बड़े उधारकर्ता (बकाया अग्रिम वाले) सकल अग्रिम का लगभग 15.2 फीसदी हैं लेकिन 100 शीर्ष गैर-निष्पादित खाते में उनका हिस्सा एससीबी के सकल एनपीए का 25.6 फीसदी है।

एससीबी के मार्च 2017 तक उद्योगों का स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो लगभग 23 फीसदी था जबकि कृषि, सेवा, और खुदरा क्षेत्र के लिए यह अनुपात क्रमशः 6.3 फीसदी, 7 फीसदी

लेखक पुणे स्थित एनआईएमबी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इससे पूर्व वे यूनाइटेड बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बैंकिंग क्षेत्र में 37 वर्षों का अनुभव रखते हैं। ईमेल: d.navang@nibmindia.org

वर्ष	जीएनपीए अनुपात	क्रेडिट ग्रोथ
2001-02	11	23.6
2002-03	9.5	14.4
2003-04	7.4	16.2
2004-05	5.2	31
2005-06	3.5	31
2006-07	2.6	28.5
2007-08	2.4	23.1
2008-09	2.4	19.6
2009-10	2.5	17.1
2010-11	2.4	22.3
2011-12	2.9	16.9
2012-13	3.4	15.1
2013-14	3.8	10.9
2014-15	4.3	12.6
2015-16	7.6	10.7
2016-17	9.3	5.08

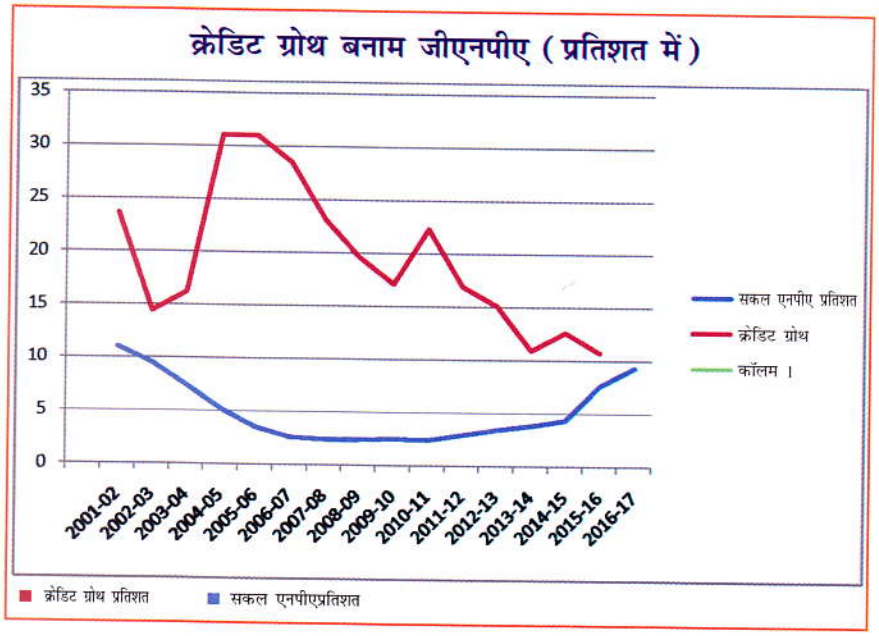

और 2.1 फीसदी था। इसमें एक समूह के रूप में पीएसबी द्वारा उद्योगों स्ट्रेस्ड एडवांस रेशो का एडवांस 28.8 फीसदी था जबकि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का अनुपात क्रमशः 9.3 फीसदी और 7.1 फीसदी था। उनमें प्राथमिक रूप से बुनियादी धातु और उनके उत्पाद, सीमेंट और उनके उत्पाद, टेक्सटाइल, अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आदि इससे प्रभावित हैं।

इस स्थिति के कारण समझना वांछनीय है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

- अपने पिछले कर्ज के इतिहास के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को उधार देने से बढ़ते बैलेंस शीट के आकार में अधिकता।
- वैश्विक क्षमता व मांग-आपूर्ति की स्थिति में तालमेल बिठाए बिना मांग की प्रत्याशा में क्षमता विकसित करने के लिए उधार लिया गया।
- विभिन्न कारणों से परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई।
- प्राप्तियों की वसूली बहुत खराब थी।
- कारपोरेट इक्विटी जारी करके या अन्य ऋण साधनों के जरिये पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं था और दोगुना फायदा उठाने के लिए इक्विटी के रूप में उधार लिए गए धन का इस्तेमाल किया। बैंकों ने इक्विटी की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं ली।
- अति आशावादी अनुमानों की वजह से व्यावसायिक विफलता।
- विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए धन का इस्तेमाल। जिन उद्देश्यों के लिए धन उधार लिया गया, उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया गया।
- जान-बूझकर ऋण अदायगी में चूक, कर्ज के धन का निजी उपयोग, धोखाधड़ी, गलत विनियोग आदि।
- बैंकों के पास धन के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कौशल का अभाव और फर्जी कंपनियों आदि के जाल के जरिये उधारकर्ता द्वारा धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग।
- क्रेडिट मूल्यांकन में कमी और अनुचित तत्परता।

किसी भी नये ऋण को एनपीए में बदलने में 3-4 वर्षों का समय लगता है। विकास की तेज गति के दौरान जब नया एनपीए उत्पन्न होता है तो वह विकास की ओट में छिप जाता है। सकल एनपीए अनुपात खतरनाक रूप में नहीं दिखता है, क्योंकि विभाजक (अग्रिम) अंश (एनपीए) की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। प्रभावशाली निगरानी के जरिये बैंकों को उभरती हुई परिस्थितियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए था। ऊपर बताये गये कारणों के लिए सुधार के कदम उठाने के साथ-साथ जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं एवं अति आशावादी परियोजनाओं हेतु कर्ज देने से इन्कार कर देना चाहिए था। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों में निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के प्रति पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। नियमों का पालन नहीं करने वाले उधारकर्ताओं का गैर-सहयोगी या जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले के रूप में नाम घोषित करना चाहिए था।

कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। दंड की राशि धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होती, लेकिन उसे धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर धोखाधड़ी में जनहित का सवाल भी जुड़ा होता है, तो जेल की सजा तीन साल से कम नहीं होगी।

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कंपनी नियम के प्रावधान बैंकरों को कार्रवाई शुरू करने और ऐसे मामलों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के अनुसार कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी का एक नया अपराध इसके तहत है-

कोई भी कृत्य या चूक, किसी भी तथ्य को छिपाना, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध पद

का धोखा देने के इरादे से दुरूपयोग, कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाना, इसके शेयरधारकों, क्रेडिटधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाना, चाहे गलत तरीके से लाभ या हानि न हुआ हो, इन सबकी जांच एसएफआईओ द्वारा की जाएगी।

जान-बूझकर कर्ज न चुकाने के मामले जांच के लिए एसएफआईओ को भेजे जा सकते हैं। इस तरह की चूक कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत गंभीर धोखाधड़ी का है। जब तक बैंक गलत इरादे और उधारकर्ताओं की तरफ से गलत प्रतिनिधित्व को साबित नहीं करता, तब तक उधारकर्ता के खिलाफ जान-बूझकर चूक के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कठिन होता है।

कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है उसे कम से कम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। दंड की राशि धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होती, लेकिन उसे धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर धोखाधड़ी में जनहित का सवाल भी जुड़ा होता है, तो जेल की सजा तीन साल से कम नहीं होगी।

हमारे यहां ऐसे सक्षम कानून हैं जो विशेष रूप से बैंकों के लिए उधारकर्ताओं से बकाया कर्ज वसूलने के लिए बनाये गये हैं जैसे आरडीडीबीएफआई अधिनियम, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम-02 और हाल का इन्सोलवेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड, 2016।

एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम बैंकरों को आरोपित संपत्ति पर कब्जा करने और बिना अदालत के हस्तक्षेप के उसकी नीलामी करने की अनुमति देता है। निस्संदेह यह एक ताकतवर औजार है और समुचित योजना और सही क्रियान्वयन के जरिये संपति को बेचा जा सकता है। जैसा कि अक्सर होता है बैंकरों को हराने के लिए डिफाल्टर सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें संपत्ति की नीलामी न करने दी जाए। प्राधिकृत अधिकारियों के खिलाफ वे गलत आरोप लगाते हैं या उनके खिलाफ अत्याचार के आपराधिक मामले दायर कर देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में बैंक का प्रबंधन इस तरह से परेशान अधिकारियों के

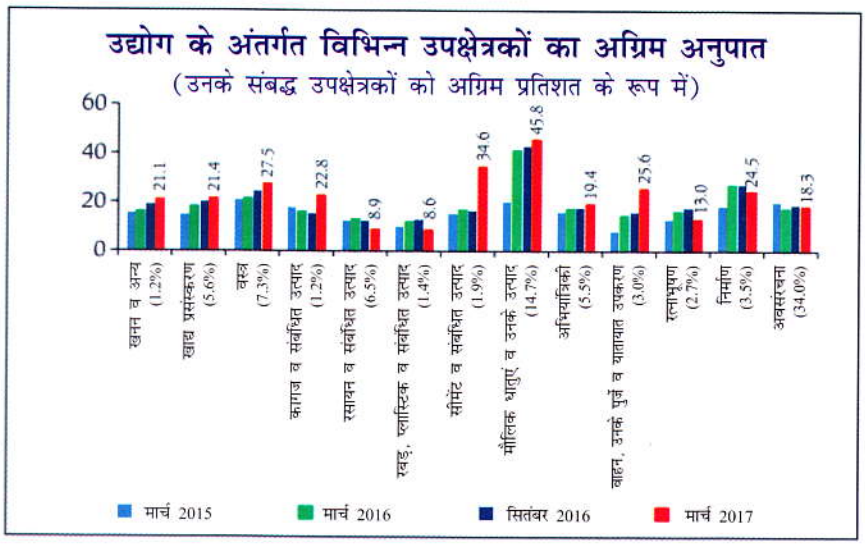

बचाव में सक्रिय रूप से आगे आता है। ऐसी घटनाओं से कार्यबल का उत्साह भंग होता है और वसूली टॉस का विषय बन जाता है। दीपक नारंग बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के एक निर्णित मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 14 सितंबर, 2006 को न केवल इलाहाबाद बैंक के पीड़ित एजीएम (इन पंक्तियों के लेखक) को बचाया, जो बैंक का प्राधिकृत पदाधिकारी था, बल्कि एफआईआर स्वीकार करने वाले मजिस्ट्रेट को फटकार लगायी और तथ्यों पर आधारित मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति आरएस मदन ने यह बात कही-

- यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षित है बल्कि 2002 के कानून की धारा 32 के तहत भी संरक्षित है जिसे निम्न रूप में पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है।
- सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के लिए उनके द्वारा कथित तौर पर किये गये किसी भी अपराध, चाहे उसने कार्यकारी या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन के रूप में किया हो, के लिए ऐसा आवश्यक है। आधिकारिक कर्तव्य का अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान वह कार्य या चूक की गयी हो और इस तरह के कार्य या चूक उसके कर्तव्य के हिस्से के रूप में किया गया हो, जिसे आगे अपनी प्रकृति में भी आधिकारिक होना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 उन्हीं कार्यों पर लागू होगा, जिन्हें कर्तव्य निष्पादन के रूप में अंजाम दिया गया हो।
- प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा-32 - सद्भावना में की गयी कार्रवाई का संरक्षण-किसी भी सुरक्षित ऋणदाता या सुरक्षित ऋणदाता के किसी भी अधिकारी या प्रबंधक के किसी भी अधिकार का उपयोग करते हुए या उधारकर्ता ने इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्य या चूक सद्भावना के तहत किया हो तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।
- बेशक, प्रतिवादी संख्या 2 के पास याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह उस (प्रासंगिक) समय पर घर में उपलब्ध नहीं था। इसलिए वर्तमान शिकायत बकायेदारों की ओर से एक बदले की कार्रवाई है। वर्तमान शिकायत झूठी

वर्ष 2015-16 में बैंकों द्वारा 64,519 संपत्तियों को जब्त किया गया या उन पर कब्जा किया गया, जबकि जून 2017 का यह आंकड़ा 33,928 है। यह बेहद जरूरी है कि सरकार कानून में संशोधन करे, ताकि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य हो।

शिकायतों के आधार पर उनके पुत्र द्वारा दायर की गयी है जो कभी साबित नहीं होगी। इसलिए वर्तमान शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, जिसकी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बैंक अधिकारियों के पक्ष में इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के बावजूद इस प्रक्रिया ने अपनी चमक खो दी है और बैंक इतने ताकतवर नहीं हैं कि इस अधिनियम के तहत वसूली कर सकें।

इस अधिनियम के तहत वर्ष 2015-16 में बैंकों द्वारा 64,519 संपत्तियों को जब्त किया गया या उन पर कब्जा किया गया जबकि जून 2017 का यह आंकड़ा 33,928 है। यह बेहद जरूरी है कि सरकार कानून में संशोधन करे ताकि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य हो कि वे जब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस कानून के तहत आवेदन किया जाये तो संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंकों को सौंपें।

उधारकर्ताओं के पास अन्य तरह के उपाय भी होते हैं जिनसे वे बैंकों के प्रयासों को विफल करने के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उधारकर्ता लंबे समय तक बैकों के साथ खेल खेलते रहते हैं। क्योंकि एक बैंकर एक ईमानदार उधारकर्ता की स्थिति को समझ सकता है। इसका मूल्यांकन करते हुए लुधियाना के एक उद्यमी संजय लोगवालिया कहते हैं कि मैं वही सब वस्तुओं का विनिर्माण करता हूं जो लुधियाना में अन्य उद्यमी करते हैं। वे कानूनी दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं, समय पर किस्त या अन्य कर आदि चुकाते हैं लेकिन बैंक ब्याज में कमी के उनके अनुरोध पर विचार नहीं करता है और उनके पिछले उत्कृष्ट आचरण के लिए पुरस्कृत करती है, जो बहुत कम क्रेडिट और डिफॉल्ट के जोखिम का संकेत करता है। वे दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बेइमान उधारकर्ता धन को दूसरे कामों में लगाने के बाद विभिन्न पुनर्रचना योजनाओं के तरह ब्याज दर में छूट और किस्त चुकाने में निषेध के जरिये अपने व्यवसाय को आसानी से चलाने की व्यवस्था कर लेते हैं। जाहिर तौर पर वह अपने उत्पादों के विपणन बनाम बेइमान उधारकर्ता के रूप में हानि उठाते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या बेइमानी पर भी कोई प्रीमियम होता है? क्या ईमानदार उधारकर्ताओं को पीड़ा होनी चाहिए? यही समय था जब प्रधानमंत्री के शब्द मेरे जेहन में गूंजने लगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वे जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वालों को कानून का मजा चखाएंगे। वर्तमान सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को एक सही कदम उठाते हुए दिवालियापन के लिए एक कानून लागू किया जो आमूलचूल परिवर्तन करने वाला (गेमचेंजर) है। सरकार कर्ज न चुकाकर भागने वालों का रास्ता रोकने और कर्ज वसूली के लिए एक कठोर कानून बनाने के लिए दो बार अध्यादेश लायी। एनपीए जैसे दानव को नष्ट करने के लिए अब इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाएगा। इसकी प्रभावकारिता उचित और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों की इच्छाशक्ति और ईमानदार इरादे पर निर्भर करेगी। ऐसे में कानून के असली उद्देश्यों को खत्म करने के किसी के बुरे उद्देश्यों को समझना और उसे नष्ट करना बेहद जरूरी है। आईबीसी के तहत संकल्प निर्णय के जरिये विवेक पर आधारित होना चाहिए।

हालिया अध्यादेश जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ताओं को कर्ज की राशि दूसरी जगह खर्च करने के बाद अपनी कंपनी वापस खरीदने से रोकता है या अपने खातों को एनपीए बनाने वाले ऐसे प्रमोटरों की अराजकता को चुनौती देता है। सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है, वह उल्लेखनीय है और एनपीए की समस्या से व्यवस्था को छुटकारा दिलाने का इरादा स्पष्ट है साथ ही वह किसी को भी व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं देता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के साथ मिलकर जान-बूझकर ऋण न चुकाने वालों को हतोत्साहित करता है। यही समय है कि भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जान-बूझकर ऋण न चुकाने को एक गंभीर अपराध बनाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में है।

ऐसे जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वालों की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए किया जाता है। ये उपाय उन लोगों के रवैये पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, जो बैंकों से धन उधार लेते हैं और मानते हैं कि उसे न चुकाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गुमराह उधारकर्ताओं का हिसाब-किताब करने का समय आखिरकार आ ही गया है।

आगे बढ़ने के लिए बैंकों को निधियों के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए फारेंसिक ऑडिट की जरूरत होगी। उन्हें उधारकर्ताओं के उचित उद्यम का पता लगाने के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि फिनटेक कंपनियां करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से कम से कम एक वर्ष पहले अस्सी फीसदी विश्वास के साथ संभावित डिफॉल्ट का पता लगाया जा सकता है। नवी मुंबई की एक फिनटेक कंपनी डी2के ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका परिणाम उल्लेखनीय है। बैंकों को अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीतियों को बेहतर बनाकर युवा कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और उनके कौशल को उन्नयन करना होगा, जिसकी फिलहाल कमी है।

सरकार को अपनी ओर से बैंकों के बोर्ड में ऐसे पेशवरों की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें डोमेन का ज्ञान हो और बैंकों के कामकाज का पर्याप्त अनुभव हो। बैंकों के बोर्ड में स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमडी और ईडी जैसे सेवानिवृत्त कार्यकारी का चयन जांच-पड़ताल के लायक है। शीघ्र वसूली के लिए सरकार को कुछ और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलों (एनसीएलटीज) बनाना अच्छा रहेगा और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अभी कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटीज) बहुत कम हैं। कामकाज के भार का सामना करने के लिए जजों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। व्यक्तियों, उद्यम स्वामियों और भागीदारी में चलने वाली कंपनियों के दिवालियापन के मामले सामने आने से इसकी कमी तीव्रता से महसूस की जाएगी। दिवालियापन से संबंधित संहिता लागू होने के बाद उधार लेने की संस्कृति और बैकों द्वारा कर्ज देने की संस्कृति भविष्य में ज्यादा सुरक्षित होंगे। ऐसे में निश्चित रूप से बैंक राहत की सांस लेंगे। उल्लेखनीय बदलाव के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। निश्चित रूप से उधारकर्ताओं की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। ❑